WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

एल०पी०जी० वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण

*142. **श्री जनार्दन यादव :**
श्री कामेश्वर पासवान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल०पी० जी० वितरकों द्वारा मुख्यत: गैस-चुल्हे की जबरन बिक्री करके उपभोक्ताओं के शोषण में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय इस शोषण को रोकने के लिए, मात्र चेतावनी देने के अतिरिक्त कोई कदम उठा रहा है ;

(ग) मंत्रालय द्वारा सिवान (बिहार) के एल०पी०जी० (इण्डेन) वितरक. मैसर्स पार्वती गैस सर्विस द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने के बाद भी उसके विरुद्ध कोई उचित कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय ने उक्त वितरक के विरुद्ध न केवल उपभोक्ताओं द्वारा, बल्कि अन्य सांसदों सहित कुछ स्थानीय सांसदों द्वारा की गई शिकायतों को भी अस्वीकृत कर दिया है ;

(ङ) क्या सरकार उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए एल पी जी वितरकों द्वारा गैस के चूल्हे (हाट प्लेटस) की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार रखती है ; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनियमितताओं के आरोप पर कुल कितने वितरकों के लाइसेंस रद्द किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध सभी शिकायतों की जांच की जाती है और किसी मामले में आरोप के सिद्ध होने पर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है ।

(ग) और (घ) मैसर्स पार्वती गैस सर्विस, सिवान के विरुद्ध शिकायतों की जांच की गई है । जांच के परिणामस्वरूप नए कनेक्शन देना निलंबित कर दिया गया था और एक चेतावनी पत्र भी जारी किया गया था ।

(ङ) ग्राहक किसी भी स्रोत से चुल्हा खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि वह चुल्हा आई०एस०आई० मार्क वाला हो । डिस्टीब्यूटरों को स्थायी निर्देश जारी किए गए हैं कि ग्राहकों पर अपने यहां से चुल्हा खरीदने के लिए दबाव न डाला जाए ।

(च) विभिन्न अनियमितताओं।कदाचारों के कारण पिछले तीन वर्षों (1991–92 से 1993–94) के दौरान 38 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें समाप्त कर दी गई हैं ।

Misappropriation in Seafarers Welfare Fund Society

*145. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the CBI is enquiring into the misappropritaion of funds in the Seafearers' Welfare Fund Society, Bombay;

(b) whether some officials of the Director General (Shipping) and some nationalised banks and Members of the Society were involved in the misappropriation;

(c) whether the CBI has given its findings; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.